

कार्यकारी सारांश

गया मोरहर 34 बालू घाट खनन
परियोजना
के लिए
ग्राम - सैफगंज,
अंचल: - बांके बाज़ार
जिला- गया, बिहार
क्षेत्रफल 47.40 हेक्टेयर, उत्पादन 1,80,000
टन पर एनम

आवदेन करता

ओनकार प्रसाद

ग्राम व पोस्ट - आजमगढ़, बिहार

एनवायरनमेंट कन्सल्टेंट :



पी & एम सल्यूशन

(क्वालिटी कौसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त)
सी-88 सेक्टर 65 नोएडा उत्तर-प्रदेश



www.pmsolution.in

Accreditation No. : NABET/EIA/1992/IA0053

कार्यकारी सारांश

➤ परियोजना और प्रस्तावक का परिचय

गया मोरहर 34 बालू घाट खनन परियोजना , ग्राम: सैफगंज, अंचल: - बांके बाज़ार, जिला: गया, बिहार में 47.40 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अन्तर्गत आता है।

इस परियोजना को सर्वप्रथम मिनरल डेवलपमेंट अफसर गया को आवंटित किया गया था, पुनः बाद में सरकार के द्वारा नीलामी में ये पट्टा मेसर्स हर्ष कंस्ट्रक्शन (सरिता कुमारी) को पत्रांक संख्या 324/खनन, गया, दिनांक 14-02-2020 के द्वारा आवंटित किया गया । खान एवं भूत्व विभाग के द्वारा स्थानांतरण पत्र (पत्रांक संख्या 852/ एम, पटना, दिनांक 12-02-2020) जारी किया गया । आवेदक ने ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया है । इस परियोजना परियोजना की लागत 90,29,048/- रुपए का आकलन किया गया है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना, दिनांकित 14 सितम्बर 2006 जिसे दिसम्बर 2009, और अप्रैल 2011 और 2018 में संशोधित किया गया है, के अनुसार, परियोजना गतिविधि 1 ए, के तहत श्रेणी 'बी' में आती है। ड्राफ्ट ई0 आई0 ए0/ई0 एम0 पी0 21.07.2029 को निर्देशित टी0ओ0आर0 तथा ई0 आई0 ए0 अधिसूचना के आधार पर तैयार की गई है। इस खदान के द्वारा पर्यावरण में होने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए वर्तमान स्थिति में पर्यावरण पर खान के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का जायजा लेना आवश्यक है।

परियोजना का प्रस्ताव ओनकार प्रसाद द्वारा किया जा रहा है। प्रस्तावकर्ता ने जिला गया रेत खनन परियोजना से रेत खनन परियोजना के नाम गया मोरहर 34 बालू घाट खनन परियोजना से नदी फल्गु, के 47.40 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है।

प्रस्ताव प्रति वर्ष लगभग 1,80,000 टन खनिज के खनन का है। प्रस्तावित परियोजना के लिए परियोजना की अनुमानित लागत 90,29,048 रुपये है।

➤ स्थल

पट्टा क्षेत्र बिहार के जिला गया के ग्राम: सैफगंज, अंचल: - बांके बाजार, जिला: गया, बिहार में स्थित है।

पट्टे का यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण की टोपोशीट नम्बर 72 D/10 , 72 D/11, 72 D/14 , 72 D/15 में आता छेत्र स्थित पट्टा क्षेत्र गया के जिला बिहार में स्थित है।

खनन पट्टे के कोऑर्डिनेट्स (Mine lease co-ordinates):

| स्तंभ | आक्षांश | देशान्तर |
|-------|---------------|---------------|
| A | 24°30'39.93"N | 84°41'59.65"E |
| B | 24°30'33.55"N | 84°42'2.39"E |
| C | 24°30'17.05"N | 84°40'59.83"E |
| D | 24°30'27.98"N | 84°40'57.75"E |

संयोजकता

शेरघाटी से 10.0 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। गया सबसे नज़दीक शहर है। खनन क्षेत्र में अवागमन नेशनल हाइवे- 83 द्वारा जाया जा सकता है

परियोजना की सहज विशेषताएँ

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| आवेदक का नाम | ओनकार प्रसाद |
| पट्टेदार का नाम और पता | ओनकार प्रसाद |
| खान का नाम | गया मोरहर 34 बालू घाट खनन परियोजना |
| गांव | सैफगंज |
| तालुका: | बांके बाजार |
| जिला और राज्य | गया, बिहार |
| टोपोशीट संख्या | 72 D/10 , 72 D/11, 72 D/14 , 72 D/15 |
| खनिज | बालू |
| क्षेत्रफल हेक्टेयर में | 47.40 हेक्टेयर |
| पोस्टल पता | ओनकार प्रसाद |

2.2 परियोजना की मूल आवश्यकताएँ

| क्रम संख्या | आवश्यकताएँ | मात्रा | स्रोत |
|-------------|------------|--------|-------|
| | | | |

| | | | |
|---|-----------|----------------|----------------------------------|
| 1 | भूमि | 47.40 हेक्टेयर | यह एक नया खान है। |
| 2 | पानी | 10.22 KLD | आस पास के गांव से |
| 3 | श्रमशक्ति | 26 | मुख्य रूप से आस पास के गांवों से |

2.3 खनन पद्धति का विवरण

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| खनन की विधि | खुली खदान अर्ध्य यांत्रिकीकृत |
| बैंच की उंचाई और चौड़ाई | उंचाई: 1.0 मीटर चौड़ाई: 1.0 मीटर |
| गड्ढो की अधिकतम गहराई | 3 M |

ड्रिलिंग

ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं हैं।

खनिज का उपयोग

बालू का उपयोग निर्माण कार्यवो में किया जाता है सड़क निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है

➤ खनन

यह एक ओपन – कास्ट खनन परियोजना है। कार्य अर्ध यांत्रिकी / ओ टी एफ एम विधि से किया जायेगा। एक्सकेवेटर / जेसीबी ट्रक / ट्रैक्टर संयोजन उपकरणों का या मैन्युअल रूप से उपयोग किया जाएगा। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी।

खनन 3 मीटर की गहराई तक या भूजल के 3 मीटर ऊपर तक किया जाएगा।

खनन केवल दिन में किया जाएगा और मानसून के दौरान पूरी तरह बंद रखा जाएगा।

रिजर्व

रिजर्व की गणना के लिए खनन योग्य क्षेत्र की सीमा पर विचार सतह से 3 मीटर की अधिकतम गहराई के मद्देनजर किया गया है।

ऊपर लिखित गणना के अनुसार, संचय अनुमानत: 1,80,000 टन है।

उत्पादन

वर्ष में लगभग 1,80,000 टन खनन किया जाएगा, जो मानसून में धीरे-धीरे भर जाएगा।

➤ स्थल सुविधाएं एवं उपयोगिताएं

जल आपूर्ति

श्रमिकों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। धूल को दबाने के लिए भी पानी की जरूरत होगी। इस प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल 10.22 KLD पानी की जरूरत होगी।

अस्थायी आवास :

श्रमिकों को विश्राम के लिए स्थल के नजदीक एक अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के लिए प्रथम उपचार दवाओं के साथ-साथ विष-रोधी दवाओं और साफ-सफाई की व्यवस्था अर्थात् सेप्टिक टैंक या सामुदायिक पैखाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

पर्यावरणी स्थिति

आधाररेखा पर्यावरणी गुणता का परीक्षण मार्च 2020 – जून 2020 तक मौसम के दौरान खान के चारों और 10 किलोमीटर की त्रिज्या में किया गया।

➤ बेसलाईन आंकड़े :

प्रस्तावित खनन के प्रति वायु, ध्वनि, जल, मृदा, पारिस्थितिकी और जैवविविधता के पर्यावरणीय आंकड़ों का संग्रह कर लिया गया है।

पर्यावरण की आधारिक स्थिति

| विशेषता | आधारिक स्थिति |
|---------------|--|
| वायु गुणवत्ता | वायु गुणवत्ता के कुछ मानकों के अधिकतम मानों जैसे PM _{2.5} (44.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), PM ₁₀ (86.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) है। इन मानकों के न्यूनतम मान PM _{2.5} (16.85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), PM ₁₀ (31.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) है, SO ₂ और NO ₂ का मान लिमिट के अंदर है। |
| शोर गुणवत्ता | शोर का अध्ययन 5 स्थानों पर किया गया। इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि दिन और रात दोनों समय में शोर के स्तर सभी स्थानों पर NAAQ(राष्ट्रीय मानकों द्वारा) निर्धारित सीमा में थे। |
| जल गुणवत्ता | सभी स्रातों से भूमिगत जल पेय प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि सभी अवयव भारतीय मानक आईएस:10500 के मानदण्डों के अनुसार निर्धारित सीमा से कम पाये गये। सतही जल के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नमूनों के अधिकांश मानक सीपीसीबी के 'श्रेणी बी' मानकों के अनुसार उपयुक्त हैं, यह इंगित करता है कि ये स्नान इत्यादि के लिए उपयुक्त हैं। |

| | |
|---------------|--|
| मृदा गुणवत्ता | चिह्नित स्थलों से लिए गए नमूनों से पता चलता है कि मिट्टी बलुआई है और इसका pH 7.48 से 7.78 के बीच है। |
|---------------|--|

➤ पर्यावरण प्रबंधन योजना (इएमपी) एवं उसका कार्यान्वयन

- बैंक के संरक्षण के लिए नदी क्षेत्र से सुरक्षित दूरी छोड़ दिया जाएगा तथा नदी से दूर के क्षेत्रों (Paleochannels) के संरक्षण के लिए पट्टा क्षेत्र की परिधि के आसपास क्षेत्र छोड़ दिया जाएगा
- कार्य की अधिकतम गहराई क्षेत्र के भूजल स्तर के ऊपर रहेगी।
- स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए प्रभाव क्षेत्र में श्रमिकों और आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
- ऐसी गतिविधियां कम की जाएंगी जिनके फलस्वरूप सूक्ष्म तलछट नदी में पहुंच सके।
- दुलाई और निकास मार्ग के रखरखाव के चलते परिवहन पर पड़ने वाले भार पर नियंत्रण रखा जाएगा।
- परिवहन और खनिज पदार्थों के रखरखाव के दौरान उत्पन्न होने वाली गड्बड़ी को कम करने के लिए न्यूनीकरण के प्रभावशाली उपाय अपनाए जाएंगे :
- स्थानीय/मूल एवं तेजी से बढ़ने वाले जीवों के लिए सुधार कार्यक्रम का संचालन।
- मानसून ऋतु के आने के समय खनन के बंदी के दौरान नवीनीकरण योजना का क्रियान्वयन।
- संभावित आपदाओं से बचने के लिए समय पर एहतियाती उपाय अपनाने हेतु प्रभावशाली आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन।
- पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा प्रभावशाली निगरानी कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

➤ खनन के लाभ

भौतिक लाभ

प्रस्तावित परियोजना के प्रारंभ होने से आसपास के निम्नलिखित क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा।

क. सड़क परिवहन या सड़कों संपर्क में वृद्धि

ख. खनिज से अच्छे बाजारी अवसर मिलेंगे।

ग. हरियाली /वृक्षारोपण को बढ़ावा

घ. समुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन (बुनियादी ढांचे)

सामाजिक लाभः

क) रोजगार में वृद्धि

ख) राजकोष में अंशदान (खनिज कि बिक्री से राजस्व प्राप्त होगा)

ग) स्वास्थ्य संबंधि गतिविधिया को बढ़ावा

घ) शैक्षिक गतिविधियां बनाने और उनको बढ़ावा देने की योजना।

ड.) तत्कालीन समुदाय का सुदृढ़ीकरण सामुदायिक विकाय कार्यक्रम के माध्यम से सुविधा कार्यक्रम।

पर्यावरणीय लाभः

क) वैज्ञानिक खनन से पर्यावरण दुष्प्रभाव में कमी।

ख) वैज्ञानिक खनन से नदी के किनारों के आस पास पर उगी फसलों की सुरक्षा।

ग) अवैध खनन रोकने के उपाय।

➤ निगमित (कॉर्पोरेट) सामाजिक दायित्व

परियोजना लागत की पूँजीगत लागत का 2% (1,80,580.96/-) कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के लिए आवंटित किया जाएगा। लोगों की जरूरतों और मांग को देखते हुए प्रस्तावित विभिन्न गतिविधि का निर्णय लिया जायेगा जो शिक्षा, सामाजिक उत्थान, पर्यावरण बचाव, स्वास्थ्य इत्यादि से सम्बंधित होगा।

प्रत्येक गतिविधि का निर्धारण स्थानीय प्राधिकारी और लोगों से सार्वजनिक सुनवाई के साथ चर्चा के बाद किया जाएगा।
